


210324 पत्रावली पेश। वकील सार्थी एवं चैनेकर
राज. उपस्थित। बहस पर मजबूत करने
एवं पत्रावली का आवलोकन करने पर
सार्थी का शपथ पत्र स्वीकार योग्य
महोदय होने के कारण खारिज किया गया
है। पत्रावली खास तरीके तकमील होकर
दाखिल इफ्तार है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय
में सुनाया गया।


(मजबूत कुमार मीर)
Rajesh

